1 पीयू-15/12/10
19/10/10

जारी 19/10/10

संख्या –77 स0 प्र0 अ0 /12–2–2010–
85/08 डी0 ओ0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

कृषि अनुभाग –2 लखनऊ ::दिनांक :: 19 अक्टूबर 2010

विषय – प्रदेश के परिश्रमी किसानों के समर्पित प्रयासों को फलीभूत करने के उद्देश्य हेतु रणनीति– रबी अभियान–2010–2011

महोदय,

खरीफ 2010–11 में वर्षा विलम्ब से शुरू होने के कारण खरीफ फसलों के अन्तर्गत आच्छादन 92.76 लाख हे0 लक्ष्य के सापेक्ष 91.05 लाख हे0 सम्भव हो सका है । वर्षा की तीव्रता कम होने तथा आवश्यकतानुसार लगातार होते रहने के फलस्वरूप खरीफ फसलों की बढ़वार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में सामयिक एवं पर्याप्त वर्षा के कारण फसलों की बुआई/रोपाई समयान्तर्गत पूर्ण कर ली गयी और फसलों की दशा भी अच्छी है वही प्रदेश के पूर्वी एवं मध्य क्षेत्रों में वर्षा विलम्ब से शुरू होने एवं कम होने के कारण फसलों की वुआई/ रोपाई प्रभावित हुई ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए रबी 2010–11 में निम्नवत रणनीति तैयार की जानी है, ताकि खरीफ 2010 की प्रतिपूर्ति सम्भव हो सके ।

- गेहूँ उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि गेहूँ की वुआई पंक्तियों में हो, इसका वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाना होगा इससे प्रति वर्गमीटर पौध संख्या सुनिश्चित की जा सकेगी तथा उत्पादकता में भी प्रर्याप्त वृद्वि प्राप्त की जा सकेगी ।
- बाढ़ प्रभावित जनपदों में परिस्थित अनुकूल फसलों के आच्छादन में वृद्वि करनी होगी।

- मृदा स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए वायोफर्टिलाइजर की व्यवस्था किसानों के लिये की गयी है जिसके लिये 272570 पैकेट राइजोबियम कल्चर, 759439 पैकेट पी0एस0बी0 एवं 486691 पैकेट एजोटो वैक्टर वितरण का लक्ष्य विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है । इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य तथा फसलोंत्पादन पर बेहतर प्रभाव होगा तथा बढ रहे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में संतुलन की स्थित आयेगी ।
- बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा रसायनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर 90 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है । इसके लिये 51859 किग्रा0 ट्राइकोडरमा, 11106 किग्रा0 ब्यूवेरिया वैसियाना, 3697 किग्रा0 स्यूडोमोनास, 1094 किग्रा0 मेटाराइजियम, 740 किग्रा0 वर्टीसीलियम, 30 किग्रा0 बी0टी0, 20033 लीटर एजाडिरेक्टिन (नीम आयल), 56 लीटर (1000 एल0ई0/ली0/एन0पी0के0 एवं 836 ट्राइकोडरमा कार्ड की पर्याप्त उपलब्धता कृषि रक्षा इकाई पर सुनिश्चित की गयी है ।
- निजी बिक्री केन्द्रों पर भी जिंक सल्फेट, वायो फर्टिलाइजर एवं वायोपेस्टी साइड की उपलब्धता कृषकों के लिये उपलब्ध रहेगी ।
- समय से तैयारी, बुवाई तथा निवेशों के समुचित प्रयोग हेतु कृषि यंत्रो एवं उपकरणों का विशेष महत्व है । विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 5676 रोटावेटर सीडड्रिल 2463, जीरोटिल सीड ड्रिल 1447, नैपसैक स्प्रेयर 115000, मानव चालित कृषि यंत्र 4920, पावर चालित कृषि यंत्र 24465, डीजल पम्प सेट 25500 उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ।
- आइसोपॉम/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत स्प्रिकंलर सेट पर अनुदान की सुविधा अनुमन्य है, जिसका लाभ उठाकर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा उत्पादन में वृद्वि सम्भव हो सकेगी।

- सिचाई के लिये कच्ची नालियों से जहॉ जल एवं श्रमिक दोनों का अपव्यय होता है इसके स्थान पर एच0डी0पी0ई0 पाइप के वितरण का लक्ष्य रखा गया है । किसान इनका प्रयोग करके सिंचन क्षमता बढ़ा सकते है ।
- कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु किसानों के खेत पर प्रदर्शन योजनान्तर्गत 137 प्रदर्शन कराये जाने है, जिसमें रोटावेटर–13 एवं जीरो ड्रिल सीड ड्रिल–13 है । कृषकों को इस योजना से प्रोत्साहित किया जायेगा ।
- मैक्रो मैनेजमेन्ट योजनान्तर्गत वर्ष 2010–2011 में कुल 13028 यंत्र वितरित किया जाना है जिसमें 820 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य सम्मिलित है । इसमें मानव/बैल चालित, शक्ति चालित यंत्रों के निर्धारित मूल्य पर अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान कृषकों को दिया जाना है।
- एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम–गेहूँ योजनान्तर्गत बीज वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500.00 प्रति कुन्टल जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य है । इसी प्रकार जिप्सम एवं माइक्रोन्यूट्रियंट पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500.00 प्रति हे0 जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य है । इस अनुदान को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत से जोड़कर कृषकों को कुल 90 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम एवं जिंक सल्फेट उपलब्ध होगा । इनका पूरा–पूरा लाभ कृषकों को कराया जाना है ।
- कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश की कृषि नीति –प्रसार एवं कृषि निवेशों एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जोर देते हुए जिला कृषि योजना के अनुसार कृषि उत्पादकता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनें का लक्ष्य है ।
- राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत गेहूँ हेतु चयनित जनपदों (38) एवं दलहनी फसलों हेतु सभी जनपदों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को प्राप्त कराने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाना अपेक्षित है ।
- इस वर्ष रबी अभियान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जनपदों में गेहूँ के वितरण तथा प्रदर्शनों के लिये ऐसे विकास खण्डों व ग्रामों का ही चयन किया जाये जिनकी उत्पादकता

जनपद की औसत उत्पादकता से कम है । प्रदर्शन स्थल के चयन में विशेष सावधानी रखनी होगी । ऐसे स्थल का चयन किया जाये जहॉ से सर्वाधिक कृषकों को इसका लाभ मिल सके ।

- तिलहनी फसल बाहुल्य क्षेत्रों में आइसोपाम(इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, ऑयल पाम, पल्सेज, एण्ड मेज) योजनान्तर्गत रबी मक्का एवं तिलहनी फसलों पर विशेष जोर देते हुए कार्यक्रमों का कियान्वयन करने का लक्ष्य है ।
- भूमि एवं जल संरक्षण की योजनाओं का प्रभावी ढंग से कियान्वयन कराकर बीहड, ऊसर, बंजर, जलमग्न भूमियों को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाये तथा तालाबों का सुदृढीकरण कराकर भूमिगत जल स्तर का सुधार किया जाये एवं इन योजनाओं के अन्तर्गत सुधारी गयी भूमि को कृषि उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाये ।
- सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर उचित मात्रा में फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये । प्रत्येक जनपद में कार्यरत ग्राम स्तरीय प्राविधिक ग्रुप सी0 कार्यकर्ता (जिसमें भूमि संरक्षण, कृषि रक्षा एवं प्रसार सम्मिलित है) को एक–एक गॉव आवंटित किया जायेगा तथा समस्त प्राप्त पात्र कृषकों को के0सी0सी0 बनाकर सम्पूर्ण गॉव के संतृप्त करने का प्रयास किया जाये । इस प्रकार इस पूल में लगभग 5000 गॉव संतृप्त करने का लक्ष्य है । साथ ही यह प्रयास किया जाये कि विगत वर्षो में उपलब्ध कराये गये किसान क्रेडिट कार्ड का यथा आवश्यकता नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाये ।
- फसली ऋण का लाभ पाने वाले समस्त कृषकों को फसल बीमा से आच्छादित कराया जाये ताकि उन्हें इस योजना का भरपूर लाभ मिल सके ।
- कृषि योग्य भूमि में जीवांश की घटती मात्रा के परिप्रेक्ष्य में मृदा स्वास्थ्य सुधार का वृहद कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत हरी खाद हेतु ढैचा बीज वितरण, औद्योगिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण एवं जैव उर्वरक उत्पादन एवं वितरण जैसे कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । इसका भरपूर लाभ किसानों तक पहुॅचाना सुनिश्चित किया जाये ।

- खरीफ 2010–2011 में पल्स पोलियों की तर्ज पर ही **अपनी मिट्टी पहचानों अभियान** माननीया मुख्य मंत्री के मार्ग दर्शन में आपके सहयोग से चलाया गया । जिसके अन्तर्गत तीन चरणों में 13.21 लाख मृदा नमूने एकत्रित किये गये तथा उनको परीक्षण कराकर उनके अनुरूप उर्वरक उपयोग की सस्तुतियॉ किसानों को उपलब्ध कराई गई । इस कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर वर्तमान रबी में "**अपनी मिट्टी पहचानों अभियान**" चित्रकूट धाम, झांसी तथा विन्ध्याचल मण्डलों में 25 सितम्बर, 30 सितम्बर तथा 05 अक्टूबर, 2010 को एवं प्रदेश के अन्य मण्डलों में 05 अक्टूबर, 03 नवम्बर एवं 10 नवम्बर को आयोजित किया जायेगा । इस कार्यक्रम में रबी में कुल 17.00 लाख नमूने का एकत्रीकरण कराकर परीक्षण कराते हुए संतुलित मात्रा में उर्वरक/खाद प्रयोग की संस्तुतियॉ कृषकों को दी जायेगी ।
- मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की दृष्टि से सभी जनपदों में स्थापित तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (182) को क्रियाशील किया जा रहा है ।
- न्याय पंचायत स्तर तक कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था है इन प्रशिक्षणों का आयोजन कराकर कृषि की नवीनतम तकनीक एवं कार्यक्रमों की जानकारी कृषकों को कराई जाये ।
- देश में उर्वरकों की बढती कीमत को दृष्टिगत रखते हुये फसल चक्र में दलहनी फसलों का अधिक से अधिक समावेश किया जाये, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उर्वरकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग को भी कम किया जा सके, पर विशेष जोर मेलें, गोष्ठियों एवं मीडिया द्वारा कराया जायेगा ।
- उर्वरकों का उत्पादन भारत ही नही अपितु पूरे विश्व में कम हुआ है, इनके दामों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है । भारत सरकार को आयातित एवं स्वयं उत्पादित उर्वरकों पर उनके मूल्य से 4–5 गुना अधिक अनुदान देना पड़ रहा है । इसलिये संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । सीड कम फर्टीड्रिल का प्रयोग करके "उर्वरक उपयोग क्षमता" में वृद्वि की जाये ।

- किसान काल सेन्टर टोल फ्री फोन नं0–1800–180–1551 पर कृषि सम्बन्धी जानकारी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिक से अधिक कृषकों को कराने हेतु जागरूक किया जाये । किसान भाई इस पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते है ।
- प्रदेश के किसान काल सेन्टर फोन नं0–0522–4155999 द्वारा दी जा रही तकनीकी जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाय ।
- अच्छे उत्पादन के लिये बीज प्रतिस्थापन दर का महत्व होता है, जिसके लिये प्रमाणित बीज की व्यवस्था की जा रही है । रबी में विभिन्न फसलों के बीजों की कुल आवश्यकता 44.40 लाख कुन्टल की है, जिसे समय से प्राप्त कर वितरण कराया जाना सुनिश्चित करना ।
- भारत सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर अनुदान की धनराशि रू0 30000.00 (तीस हजार) से बढ़ाकर रू0 40000.00 (चालिस हजार) कर दी गयी है, जिसका अधिक से अधिक लाभ कृषकों को प्राप्त कराया जाये ।
- उन क्षेत्रों में जहॉ सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहॉ फसलों की विभिन्न अवस्थाओं हेतु संस्तुत जल की मात्रा के अनुरूप सिंचाई करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार किया जाये ।
- संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु फास्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को भी मृदा परीक्षण के आधार पर उपयोगी बनाया जाये । पी0एस0बी0 कल्चर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये ।
- उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, वायोफर्टिलाइजर, वायोपेस्टीसाइड आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये समय समय पर औचक छापे डालकर नमूने विश्लेषित कराये जायें। इस पर विशेष बल दिया जाना होगा ।
- न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तर पर कृषक गोष्ठियॉ/कृषक मेले आयोजित किये जायें, इन गोष्ठियों में बीज शोधन, मृदा परीक्षण हेतु मृदा नमूना लेनें की विधि आदि का सजीव

प्रदर्शन कराया जाये । रबी बीजों एवं अन्य कृषि निवेशों का स्टाल यथा सम्भव उसी स्थल पर लगाया जाये जिससे कृषक इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें ।

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रबी 2010–2011 में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के निम्न लक्ष्य प्रदेश के लिए निर्धारित किए जा रहे हैं, जिनके जनपदवार लक्ष्य अलग से कृषि निदेशक द्वारा प्रसारित किए जायेगें ।

1. उत्पादन लक्ष्य :–

रबी 2010–2011 के लिये विभिन्न रबी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य ग्यारहवी पंच वर्षीय योजना के आधार पर निम्नवत हैं।

क0 सं0	फसल	प्रस्तावित लक्ष्य 2010–2011		
		क्षेत्रफल (लाख हे0)	उत्पादन (लाख मी0टन)	उत्पादकता (कुं0 / हे0)
1-	गेहूँ	95.000	309.210	32.55
2-	जौ	2.027	4.460	22.00
3-	रबी मक्का	0.060	0.210	35.00
4-	चना	8.400	9.050	10.77
5-	मटर	3.278	6.510	19.86
6-	मसूर	6.246	6.140	9.83
7-	अरहर	-	5.760	14.63
कुल रबी खाद्यान्न		**114.08**	**341.340**	**-**
8-	तोरिया / राई सरसों	5.662	8.210	14.50
9-	अलसी	0.406	0.190	4.68
कुल रबी तिलहन		**6.068**	**8.400**	**13.84**

- तिलहनी फसलों के लक्ष्य केवल शुद्व फसल के लिए रखे गये है ।
- गेहूँ का आच्छादन लक्ष्य गत पॉच वर्षो के आच्छादन के अनुसार रखा गया है ।

उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनायी जाने वाली रणनीति का विवरण इस शासनादेश के अगले प्रस्तरों में निरूपित किया गया है ।

2. क्षेत्र विस्तार :–

प्रदेश में काफी बड़ा क्षेत्र बीहड़ तथा ऊसर से प्रभावित है। गत वर्ष कृषि विभाग द्वारा लगभग 5.57 लाख हे0 समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार कराया गया है । इन क्षेत्रों को जनपद स्तर पर चिन्हित कर खेती के अन्तर्गत लाया जाये। जिन क्षेत्रों को प्रथम बार कृषि के अन्तर्गत लाया जा रहा है उनमें दलहनी/तिलहनी एवं अन्य उपयुक्त फसलों को उगाने पर बल दिया जाये तथा जहॉ पहले से खेती की जा रही है वहॉ वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देकर भूमि की उर्वरा शक्ति का समुचित उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जाये। इन उपचारित क्षेत्रों को रबी के अन्तर्गत लाये जाने के प्रयास को सम्बन्धित अधिकारियों के मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा।

2.अ–भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम :–

प्रदेश की कृषि एवं अकृष्य भूमि में समस्याग्रस्त क्षेत्र के उपचार हेतु विभिन्न भूमि एवं जल संरक्षण की योजनायें संचालित की जा रही है । इनमें केन्द्र पोषित राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, बाढ़ोन्मुखी नदी घाटी योजना, राज्य पोषित थारू जनजाति राष्ट्रीय योजना एवं नाबार्ड सहायतित आर0आई0डी0एफ0 योजनाएँ प्रमुख है । इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रामगंगा नदी के कटरी क्षेत्र सुधार की योजना भी कियान्वित की जा रही है । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अकृष्य भूमि में विभिन्न उपचार के माध्यमों से समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार कर भूमि कटाव की रोकथाम एवं जल संरक्षण कर कृषि क्षेत्र विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करना है

3. फसल सघनता में वृद्धि :–

वर्ष 2008–2009 की फसल सघनता 155 प्रतिशत(अनन्तिम) से बढ़ाकर 163 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है । फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को वर्ष में दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढ़ाने हेतु रबी में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित है:–

- खरीफ में बुवाई से खाली खेतों में तोरिया/लाही की बुवाई ।
- जिन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो रही है वहॉ गन्ने से खाली होने वाले खेतों में तथा शीघ्र

पकने वाली अरहर से खाली खेतों में विलम्ब की दशा में बोई जाने वाली गेहूँ की प्रजातियों की बुआई को प्रोत्साहित किया जाना है ।

- काफी क्षेत्रफल ऐसा है जहॉ अभी भी खरीफ की फसल के बाद कृषक खेत को खाली छोड़ देते है। इन क्षेत्रों को चिन्हित कर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रबी में विभिन्न फसलों से आच्छादित किया जाना ।
- जनपद देवरिया, कुशीनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, आजमगढ़, बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर, खीरी एवं जौनपुर में रबी मक्का की खेती की जा रही है। इन क्षेत्रों में क्यू0पी0एम0 (Quality Protein Maize) की खेती को प्रोत्साहित किया जाना ।

4. उत्पादकता में वृद्धि :–

रबी की मुख्य फसल गेहूँ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूँ की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है । जलवायुविक भिन्नताओं, संसाधनों की कमी, कृषि निवेशों के असंतुलित प्रयोग तथा उन्नत तकनीक का पूरा लाभ न लेने के कारण प्रदेश में गेहूँ की उत्पादकता पंजाब एवं हरियाणा की अपेक्षा कम है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों की विभिन्न फसलो की उत्पादकता में भी भारी अन्तर है ।

- न्यूनतम उत्पादकता वाले ब्लाक/न्याय पंचायत के सम्बन्ध में भी समुचित रणनीति बनाकर त्वरित कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों की ब्लाक/न्याय पंचायतवार उत्पादकता को आधार मानकर योजनायें बनाकर सघन पद्वतियों को लागू करना।
- क्षेत्रीय अनुकूलता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर फसलों एवं प्रजातियों का चयन कर कृषि की उन्नत प्राविधिकी का प्रयोग कर उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु जनपद पर समुचित रणनीति तैयार करना ।

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, सिचाई विभाग, नलकूप विभाग रबी 2010 के फसलोत्पादन के समय बिजली की आपूर्ति, नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी चलने, सरकारी नलकूपों को ठीक रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें ।
- जनपद की सबसे कम उत्पादकता वाले विकास खण्डों को चिन्हित करते हुए, इन जनपदों/विकास खण्डों की न्यूनतम उत्पादकता वाली न्याय पंचायतों को चिन्हित कर उत्पादकता बढ़ाने के विशेष प्रयास किया जाना ।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रजातियों का चयन कर 30 नवम्बर, 2010 तक 75 प्रतिशत एवं 15 दिसम्बर, 2010 तक शत–प्रतिशत गेहूँ की बुआई सुनिश्चित करना ।
- उन्नतशील प्रमाणित बीजों का अधिकाधिक प्रयोग ।
- बीज शोधन के उपरान्त ही बीज की बुआई की व्यवस्था करना ।
- मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाना ।
- बायोफर्टीलाइजर का प्रयोग उत्पादन में वृद्वि हेतु अत्यन्त आवश्यक है । अतः इसके प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मृदा परीक्षण के उपरान्त करना अत्यन्त लाभकारी सिद्व होता है । अतः इस पर विशेष बल दिया जाना है ।
- समुचित फसलों की मुख्य अवस्थाओं पर समुचित सिंचाई प्रबन्धन को सुनिश्चित करने का व्यापक प्रचार–प्रसार ।
- फसलों को समयान्तर्गत कीड़ें एवं बीमारियों से बचाव हेतु तैयारी ।

5. कृषि निवेशों की सामयिक व्यवस्था :–

रबी उत्पादन कार्यक्रम की सफलता हेतु कृषि निवेशों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था अनिवार्यतः बुवाई से पूर्व कर लेना अत्यावश्यक है । विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समय से बीज वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक । प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार एवं फसलवार उत्पादन योजना तैयार की जाये । क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु संसाधन, ऋण व्यवस्था एवं जिला योजना के अन्तर्गत चल रहे अन्य कार्यक्रमों के समन्वय से कृषकों को

प्रदत्त सुविधायें प्रदान करायी जाये । विभिन्न कृषि निवेशो की संस्थावार मांग उपलब्धता तथा पूर्ति व्यवस्था को जनपद की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये । विशेष रूप से दलहनी–तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु बुवाई के बहुत पहले ही बिक्री केन्दों पर पर्याप्त मात्रा में बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

5.1 उन्नतशील प्रमाणित बीज :–

कृषि उपज वृद्धि में प्रमाणित/अधिक उपजदायी प्रजाति के बीज का विशेष योगदान है। विगत रबी में बीज प्रतिस्थापन की दर 37.92 प्रतिशत प्राप्त की गयी है । वर्तमान रबी में इसे बढ़ाकर 41.81 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है । कृषक अब भी काफी बड़े क्षेत्र में अपना ही बीज बोते हैं। अतः उनको प्रमाणित/ अधिक उपजदायी प्रजातियों की ओर आकृष्ट करने के लिए उनकी व्यवस्था बिक्री केन्द्रो में ही सुनिश्चित करने के साथ–साथ उन्हें इन बीजों के लाभ से भी परिचित कराया जाये । प्रमाणित बीजों की प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु संलग्नक–1 के अनुसार बीज की वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। "बीज ग्राम" योजना के अन्तर्गत भी बीज उत्पादन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाये ताकि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध हो सके ।

5.2 बीज शोधन :–

बीज जनित रोगों के नियंत्रण हेतु बीज शोधन का कार्य उन कृषकों के यहॉ विशेष रूप से कराये जाये, जो स्वयं उत्पादित बीज का प्रयोग करते है । बीज शोधन को बढ़ावा देने के लिये बीज शोधन रसायनों पर 90 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा पर्याप्त मात्रा में बीज शोधन रसायन भी कृषि रक्षा इकाई पर उपलब्ध कराया जा चुका है ।

बीज शोधन का मुख्य उद्देश्य बीज जनित/भूमि जनित रोगों को रसायनों एवं जैव रसायनों से शोधित कर देने से बीजों एवं मृदा में पाये जाने वाले रोगों के कारकों क़ो नष्ट करना है । इसके लिए फफूँदीनाशक एवं जैव रसायनों का प्रयोग किया जाता है । बीज शोधन हेतु प्रयोग किए गए रसायनों/बायो पेस्टीसाइड्स को बुवाई के पूर्व सूखा अथवा कभी–कभी संस्तुतियों के अनुसार घोल बना कर मिलाया जाता है जिससे इनकी एक परत बीजों की बाहरी सतह पर बन जाती है जो बीज के साथ पाये जाने वाले शाकाणुओं/जीवाणुओं को अनुकूल परिस्थितियों में नष्ट कर देती है, साथ ही मृदा में पाये

जाने वाले रोग कारकों के संक्रमण के लिए कवच का काम करती है । इस प्रकार बीज जनित/भूमि जनित रोग से अगली फसल रोगमुक्त तैयार होती है । कंडुआ रोग का नियंत्रण बीज शोधन से ही सम्भव है । इस उपचार में कम खर्च में ही भविष्य के अधिक खर्च एवं क्षति से बचा जा सकता है ।

5.3 उर्वरकों का वितरण :–

भारत सरकार द्वारा रबी 2010–2011 में 32.50 लाख मी0 टन यूरिया, 10.50 लाख मी0 टन डी0ए0पी0, 7.50 लाख मी0 टन एन0पी0के0 काम्पलेक्स एवं 2.00 लाख मी0 टन एम0ओ0पी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसका जनपदवार, माहवार विभाजन कृषि निदेशक द्वारा प्रेषित किया जायेगा । भारत सरकार प्रत्येक माह उर्वरकों के उत्पादन एवं आयात के आधार पर प्रदेश को माहवार मूवमेन्ट सप्लाई प्लान निर्धारित करती है । अतः प्रत्येक जनपद में माहवार लक्ष्यों के विरूद्व ही उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा की जाये तथा वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जाये । उर्वरकों विशेषकर फास्फेटिक उर्वरकों की राष्ट्रव्यापी कमी को ध्यान में रखते हुये उनकी उपलब्धता एवं वितरण पर सर्तक दृष्टि रखना आवश्यक है । यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का सही मूल्य पर वितरण हो । कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अर्न्तराज्यीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली तस्करी पर कठोरता से नियंत्रण किया जाये । विगत रबी की ही भॉति सभी उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर जिलाधिकारी अपने स्तर से विभिन्न विभागों के न्यूनतम निरीक्षक स्तर के कर्मचारी की तैनाती करना सुनिश्चित करें जिसकी देख रेख में उर्वरक वितरण का कार्य सम्पादित किया जाये ।

5.4 जैव उर्वरकः–

धान–गेहूँ फसल चक्र अपनाने के कारण अधिकतर क्षेत्रों में जिंक की कमी परिलक्षित हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य कराया जाये । किसानों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 40

प्रतिशत अनुदान वहन किया जा रहा है । दलहनी–तिलहनी फसलों के लिए गंधक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुपर फास्फेट/जिप्सम अथवा सल्फर का प्रयोग कराया जाये ।

रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करने तथा जैविक उर्वरको के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राइजोबियम कल्चर, एजोटोवैक्टर एवं पी0एस0बी0 के उत्पादन/वितरण का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसकी प्रगति सुनिश्चित की जाये । इस कार्य में निजी क्षेत्र की संस्थाओं यथा उर्वरक कम्पनियों की भी यथा संभव मदद ली जाये ।

5.5 पर्णीय छिड़काव:–

उर्वरकों की खपत में कमी लाने के लिये संस्तुत मात्रा में यूरिया एवं जिंक सल्फेट के पर्णीय छिड़काव पर विशेष बल दिया जाना है ।

पोषक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण रबी की फसलों में निम्न प्रकार है:–

अ. प्रमुख पोषक तत्वो की कमी की पहचान:–

नाइट्रोजन:–

पौधों में पुरानी पत्तियॉ नोक की तरफ से पीली पड़ने लगती है और बढ़वार रूक जाती है । फूल नहीं लगते अथवा बहुत कम लगते है तथा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है ।

फास्फोरस:–

पौधें छोटे रह जाते है और जड़ो का विकास रूक जाता है । पत्तियों का रंग गहरा हरा तथा किनारे लहरदार हो जाते है । लक्षण पुरानी पत्तियों पर पहले दिखता है । अधिक कमी होने पर तना गहरा पीला पड़ जाता है और फसल देर से पकती है इसके साथ ही बीजों और फलों का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता ।

पोटैशियम:–

पुरानी पत्तियों के किनारे सूख कर भूरे पड़ जाते है । आकार छोटा तथा वृद्वि रूक जाती है । तने कमजोर तथा पौधे आसानी से गिर जाते है । दाने व फल सिकुड़े हुए दिखायी देते है ।

कैल्शियमः—

नये पौधों की नयी पत्तियॉ सबसे पहले प्रभावित होती है । ये प्रायः कुरूप, छोटी और गहरे हरे रंग की हो जाती है । जड़ो का विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है और जड़े सड़ने लगती हैं । उग्र कमी की दशा में पौधों की शीर्ष कलियॉ (वर्धनशील अग्रभाग) सूख जाती है । कलियॉ और पुष्प मंजरी अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जाती है तथा तने की संरचना कमजोर हो जाती है ।

मैग्नीशियमः—

पुरानी पत्तियॉ किनारों से और शिराओं के मध्य भाग से हरिमाहीन होने लगती है, जोकि बाद में धारीयुक्त दिखायी पड़ने लगती है । उग्र कमी की स्थिति में प्रभावित ऊतक सूख जाते हैं और मर जाते हैं । पत्तियॉ आमतौर पर आकार में छोटी और अन्तिम अवस्था में कड़ी हो जाती है एवं किनारों से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं ।

गंधकः—

नई पत्तियॉ पीली पड़ जाती हैं जो बाद में सफेद हो जाती है । तने छोटे, कमजोर तथा पीले पड़ जाते है एवं वृद्वि रूक जाती है ।

ब. सूक्ष्म पोषक तत्वः—

जस्ता(जिंक)

गेहूँ में सबसे पहले तीसरी/ चौथी पत्तियॉ जड़ से पीली पड़ने लगती है जो बाद में हल्के भूरे रंग की होकर सूख जाती है ।

मक्का में प्रारम्भ में हल्के पीले रंग की धारियां बन जाती है और बाद में चौड़े सफेद या पीले रंग के धब्बे बन जाते है । शिराओं का रंग लाल गुलाबी हो जाता है। ये लक्षण पत्तियों की मध्य शिरा और किनारों के बीच दृष्टिगोचर होते है, जो कि मुख्यतः पत्ती के आधे भाग में ही सीमित रहते है ।

लोहाः–

मध्य शिरा के बीच विशेष प्रकार की हरिमाहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं । सबसे नयी पत्तियॉ पहले प्रभावित होती हैं । पत्तियों के अग्रभाग और किनारे काफी समय तक अपना हरा रंग बनाये रहते है । अधिक कमी की दशा में पूरी पत्ती, शिराएं और शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है । कभी–कभी रंग उड़ जाता है । अनाज वाली फसलों में 'ग्रे स्पेक' खेत वाली मटर में 'मार्श स्पाट' और गन्ने में 'स्ट्रीम रोग' आदि रोग लग जाते है ।

तांबाः–

मक्का की ऊपरी या सबसे नयी पत्तियॉ पीली पड़ जाती है और पत्तियों का अग्रभाग मुड़ जाता है । पत्तियों के किनारे कट–फट जाते है और तने की गांठो के बीच का भाग छोटा हो जाता है । इस प्रकार पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है ।

बोरानः–

पौधों के वर्धनशील अग्रभाग के ऊतक मर जाते है । पत्तियॉ मोटे गठन की हो जाती है, जो कभी–कभी मुड़ जाती है और काफी सख्त हो जाती है । फूल नहीं बन पाते है और जड़ो का विकास रूक जाता है । जड़ वाली फसलों में "ब्राउन हाट" नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें जड़ के सबसे मोटे हिस्से में गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं । कभी–कभी जड़ें मध्य से फट भी जाती है ।

मैगनीजः–

नयी पत्तियों के शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है । परिणाम स्वरूप पत्तियॉ भोजन बनाना बन्द कर देती है और पौधे मुरझा जाते है ।

मॉलिब्डेनमः–

नीचे की पत्तियों की शिराओं के मध्य भाग में पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं । पौधों की बढवार रूक जाती है ।

क्लोरीनः–

पत्तियों का अग्रभाग मुरझा जाता है, जो अंत में लाल रंग का होकर सूख जाता है । पतझड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

5.6 कृषि रक्षा कार्यक्रमः–

फसल उत्पादन मे एक ओर जहॉ बीजों एवं उर्वरकों का महत्व है, वहीं फसल सुरक्षा हेतु कृषि रक्षा कार्यक्रमों को अपनाया जाना भी अति आवश्यक है । कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशी रसायनों की तुलना में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का महत्व अधिक हो गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से प्रदूषण में कमी के साथ–साथ रजिडुअल टाक्सीसिटी नगण्य होती है, परिणाम स्वरूप फसलों के कीट/रोगों से सुरक्षा हेतु इसके उपयोग में निरन्तर वृद्वि हो रही है । जिन क्षेत्रों में इनका प्रयोग हो रहा है, वहॉ न केवल उत्पादन में वृद्वि हुई है, अपितु मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी पर्याप्त सफलता मिली है ।

बायोपेस्टीसाइड्स यथा ट्राइकोडरमा, ब्यूवेरिया वैसियाना, स्यूडोमोनास, मेटाराइजियम, वर्टीसीलियम एवं एन0पी0वी0 एवं बायोएजेण्ट्स यथा ट्राइकोडरमा कार्ड का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालयों, भारत सरकार के केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र, लखनऊ एवं गोरखपुर तथा प्रदेश की 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है । विभागीय 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में ट्राइकोडरमा हारजियेनम 2 प्रतिशत डब्ल्यू0पी0, ब्यूवेरिया वैसियाना 1 प्रतिशत डब्ल्यू पी0 एवं एन0पी0वी0 (एच0) 2 प्रतिशत ए0एस0 के उत्पादन हेतु कृषि विभाग द्वारा लाइसेन्स भी जारी किया जा चुका है ।

वर्तमान में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है । प्रदेश में कृषि रक्षा रसायनों एवं बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स की पर्याप्त उपलब्धता हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर प्रयास किये जा रहे है । रबी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत फसल सुरक्षा हेतु इसके प्रयोग पर समुचित बल दिये जाने की आवश्यकता है । रबी वर्ष 2010–11 हेतु कृषि रक्षा रसायनों एवं बायोपेस्टीसाइड्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जो

संलग्नक–1 पर अंकित है । प्रत्येक स्तर पर अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कृषि निवेशों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराये ।

कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसान खेत स्कूल के माध्यम से गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, सब्जी एवं गन्ना की फसल पर आई0पी0एम0 प्रशिक्षण–कम प्रदर्शन आयोजित कराये जा रहे है, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय कृषकों को करायी जाये । विभिन्न फसलों के प्रदर्शनों में आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में उत्पादित बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स का प्रयोग किया जाये ।

5.7 कृषि यंत्रों को प्रोत्साहनः–

कृषि उत्पादन वृद्धि में समय प्रबन्धन के अन्तर्गत कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है । इनके उपयोग से श्रम, धन व समय की बचत एवं लागत में कमी के साथ–साथ उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती है । भारत सरकार द्वारा संचालित मैक्रोमोड एवं आइसोपाम योजना के अन्तर्गत कृषकों को शक्ति एवं मानव/बैल चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान की समुचित व्यवस्था है, इसका लाभ कृषकों को दिया जाता है ।

5.8 फार्म मैकेनाइजेशन :–

प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत जोत 0.86 हे0 है । अलाभकारी जोत होने के कारण कृषि यंत्रीकरण की प्रगति धीमी है ।

प्रदेश में कृषि विभाग तथा यू0पी0 एग्रो के माध्यम से जीरो टिलेज सीड ड्रिल एवं रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर/लेवलर का वितरण कराया जा रहा है जिसके द्वारा धान काटने के बाद गेहूँ की बुवाई सीधे की जाती है । इसके व्यापक प्रसार–प्रचार हेतु उन्नतिशील कृषि यंत्रों का कृषकों के खेतो पर प्रदर्शन करने का प्राविधान नव विकसित कृषि यंत्रों की योजना के अन्तर्गत है जिससे कृषकों को इसके प्रयोग में प्रोत्साहन मिलता है । वर्ष 2010–11 के लिए प्रदेश में 13028 कृषि यंत्र एवं 820 ट्रैक्टर के वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

5.9 पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूँ में पंक्तिवद्व बुवाई :–

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गेहूँ की बुवाई पंक्तियों में सीडड्रिल/फर्टी सीडड्रिल की व्यवस्था एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत किया जायेगा।

प्रदेश में कृषि विभाग तथा यू0पी0 एग्रो के माध्यम से जीरो टिलेज सीड ड्रिल एवं रोटावेटर, लेजर लेवलर/लेवलर एवं पैडी ट्रान्सप्लान्टर का वितरण कराया जा रहा है जिसके द्वारा धान काटने के बाद गेहूँ की बुवाई सीधे की जाती है । इसके व्यापक प्रसार–प्रचार हेतु उन्नतिशील कृषि यंत्रों का कृषकों के खेतो पर प्रदर्शन करने का प्राविधान नव विकसित कृषि यंत्रों की योजना के अन्तर्गत है जिससे कृषकों को इसके प्रयोग में प्रोत्साहन मिलता है । वर्ष 2010–11 के लिए प्रदेश में 13028 कृषि यंत्र एवं 820 ट्रैक्टर के वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

कृषि निवेशों की जनपद स्तर तथा बिक्री केन्द्रो पर समय से व्यवस्था कराने हेतु समय सारिणी **संलग्नक–1** पर निर्धारित की गयी है। इसका समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

6. आइसोपाम योजना

तिलहनी एवं मक्का फसलों के समग्र विकास के लिये केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपाम (इन्टीग्रेटेड स्कीम आफ आयल सीड्स, पल्सेज आयल माप एण्ड मेज) योजना वर्ष 2004–2005 से संचालित की जा रही है । तिलहनी एवं मक्का फसलों के समग्र विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2010–2011 में रू0 25.20 करोड़ के बजट का प्राविधान है। प्रमुख कार्य बीज मिनीकिट के वितरण, आधारीय, प्रमाणित बीज वितरण, बीज ग्राम योजना, खण्ड प्रदर्शन, राइजोबियम कल्चर, पी0एस0वी0 कल्चर वितरण, कृषक प्रशिक्षण, आई0पी0एम0 प्रदर्शन, कृषि रक्षा रसायन वितरण, इन्फ्रास्ट्रैक्चर, प्रचार प्रसार, उन्नतिशील कृषि यंत्र वितरण, स्प्रिंकलर सेट वितरण, कृषि रक्षा उपकरण वितरण, एच0डी0पी0ई0पाइप वितरण, जी0आई0 बखारी वितरण, डीजल पम्प सेट वितरण, किसान मेला सहित समस्त सुविधाओं हेतु अनुदान उपलब्ध है । विस्तृत कार्ययोजना समस्त जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों कों पहले ही भेजी जा चुकी है ।

7. मृदा परीक्षण कार्यक्रम

उर्वरकों का संतुलित उपयोग करते हुये प्रदेश में कृषि को टिकाऊ स्वरूप प्रदान करने के लिये मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुत उर्वरक प्रयोग आवश्यक है । मृदा परीक्षण की

संस्तुतियों के आधार पर कृषक संतुलित उर्वरकों एवं जैविक खादों का उपयोग करते है जिससे न केवल भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है, अपितु उनके धन की बचत भी होती है । इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में रबी वर्ष 2010–11 में 17,00,000 मृदा नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है ।

8. फसली ऋण तथा किसान केडिट कार्ड की व्यवस्था :–

गत रबी में रू0–8610.00 करोड़ का अल्प कालीन ऋण कृषकों को दिया गया था । इस वर्ष रबी 2010–2011 में रू0–14122.45 करोड़ ऋण की व्यवस्था की जानी है । कृषकों को सुगमता पूर्वक ऋृण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2010–11 में 32.00 लाख किसान केडिट कार्ड प्राथमिकता पर वितरित कराये जाने हैं ।

9. क्षेत्र विशेष के लिए रणनीति :–

प्रदेश के विभिन्न जलवायुविक क्षेत्रों में वहॉ की परिस्थिति एवं संभावनाओं को दृष्टिगत विभिन्न फसलों के लिए विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता होती है। प्रदेश के सभी नौ जलवायुविक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट तकनीकी रणनीति बनाई गयी है, इसका अनुपालन भी सुनिश्चत किया जाये । साथ ही प्रदेश में जो विशेष उत्पादन योजनायें अलग–अलग क्षेत्रो/ जनपदों के लिए संचालित है, इनका भरपूर लाभ कृषकों को उपलब्ध कराया जाये ।

10. प्रशिक्षण एवं गोष्ठियॉ :–

कृषि उत्पादन कार्य से जुडे सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियेां/ कृषकों का मण्डल/ जनपद/ विकास खण्ड/ न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियों का समय से आयोजन कराकर रबी सघन पद्वतियों में दी गयी संस्तुतियों को अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाये ।

11. कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण :–

प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय सारणी के अनुसार उपलब्धता सुनिशिचित कर, इनका वितरण, विद्युत आपूर्ति, डीजल की उपलब्धता/नलकूप/नहर द्वारा सिंचाई व्यवस्था की समय–समय पर समीक्षा कर समस्याओं

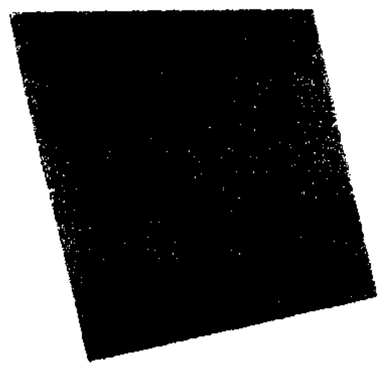

का निराकरण अपने स्तर या अपेक्षित स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाये कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी अवश्य पहुँचे ।

उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्वि हेतु कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका विवरण परिशिष्ट–2 में दिया गया है । यह प्रयास किया जाये कि उक्त योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को प्राप्त हो सके ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृषि उत्पादन में निर्धारित 5.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु आप अपना सक्रिय योगदान देकर रबी अभियान–2010–2011 को पूर्णतः सफल बनायेंगे।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

पत्रांक– 772·5·21, (i)/12–2–2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ ।
2. ग्रामीण अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3. प्रशासक, शारदा सहायक, राम गंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।
4. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश, कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ ।
5. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊं ।
7. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ ।
8. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ ।
12. मुख्य अभियन्ता, नलकूप(पूर्व/पश्चिम), विक्टोरिया पार्क, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।

13. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा ।

14. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ ।

15. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

16. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

17. अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

18. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ ।

19. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्व–विद्यालय, वाराणसी ।

20. निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ ।

21. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ ।

22. प्रबन्ध निदेशक, कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।

23. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

24. प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू–मित्र भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।

25. प्रबन्ध निदेशक, कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

26. कुलपति, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट(डीम्ड् यूनीवर्सिटी) इलाहाबाद ।

27. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व–विद्यालय, कानपुर एवं कुमारगंज(फैजाबाद) ।

28. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व–विद्यालय, मोदीपुरम मेरठ ।

29. कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी ।

30. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।

31. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ ।

32. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य सहकारी औद्यानिक संघ, लखनऊ ।

33. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, सहकारी गन्ना संघ लखनऊ ।

34. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

ॐ ५५५

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

पत्रांक– 77 २०-५-२१-(ii)/12-2-2010 तददिनांक ,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/ सचिव कृषि, सिंचाई, गन्ना, सहकारिता, ऊर्जा एवं संस्थागत वित्त, भूमि एवं जल संसाधन, कृषि शिक्षा, ग्राम्य विकास,विधान भवन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश ।
3. विशेष सचिव, कृषि अनुभाग–2 एवं 3 विधान भवन, लखनऊ ।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ ।
5. कृषि आयुक्त, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
6. निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, अलीगंज लखनऊ।
7. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ ।
8. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ ।
9. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर ।
10. निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, छलेसर, आगरा ।
11. निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं संगध पौध अनुसंधान, संस्थान, लखनऊ ।
12. निदेशक, बाल्मी, सिंचाई विभाग, उतरेटिया, लखनऊ ।

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

पत्रांक– 77 २०-५-२१-(iii)/12-2-2010 तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त उप कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण) एवं कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मण्डलीय उप कृषि निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश ।

5. समस्त मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी(विकास) परियोजना/ जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश ।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12. समस्त उप निदेशक कम प्रभारी अधिकारी, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ।
14. समस्त सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश ।
15. समस्त कृषि रक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
16. प्रधानाचार्य, कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर, चिरगॉव(झांसी) एवं गोरखपुर।
17. प्रभारी अधिकारी, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र मऊरानीपुर(झांसी) एवं मुजफ्फराबाद (सहारनपुर ।।
18. प्रक्षेत्र प्रबन्धक, राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, जमुनाबाद(गोला) खीरी एवं रहमानखेडा (काकोरी) रहीमाबाद, ढकौनी एवं कटियार ।
19. समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव